संख्या:-264/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,

उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक: 28 मई, 2025

विषयः प्रदेश में स्थापित 450 ए0डब्लू0एस0 एवं 2000 ए0आर0जी0 के थर्ड पार्टी इंस्पेक्सन में हुए व्यय का भुगतान राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से अनुमोनित धनराशि में एल-1 संस्था को भुगतान के उपरान्त शेष वच रही धनराशि में से किये जाने हेतु धनावंटन के सम्वन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके सं0-7096/रा0आ0का0/ओ0एस0डी0/2024-25, दिनांक 05.03.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में स्थापित 450 ए0डब्ल्यू0एस0 तथा 2000 ए0आर0जी0 का भौतिक सत्यापन (थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन) पर जनपदों में वाहनों पर हुये कुल व्यय रू0 15,27,537/- का भुगतान राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की दिनांक 17/05/2023 में 450 ए0डब्ल्यू0एस0 तथा 2000 ए0आर0जी0 की स्थापना हेतु एस0डी0एम0एफ0 से अनुमोदित रू0 14216.38 लाख में से एल-1 चयनित मैसर्स ओबेल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को रू0 139.56 करोड़ के भुगतान के उपरांत शेष बचत धनराशि में से किये जाने पर अनुमति प्रदान करते हुए रू0 15,27,537/- निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 10.03.2025 में प्राप्त संस्तुति के कम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में स्थापित 450 ए0डब्ल्यू0एस0 तथा 2000 ए0आर0जी0 का भौतिक सत्यापन (थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन) पर जनपदों में वाहनों पर हुये कुल व्यय रू0 15,27,537/- का भुगतान राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की दिनांक 17/05/2023 में 450 ए0डब्ल्यू0एस0 तथा 2000 ए0आर0जी0 की स्थापना हेतु एस0डी0एम0एफ0 से अनुमोदित रू0 14216.38 लाख में से एल-1 चयनित कार्यदायी संस्था को रू0 139.56 करोड़ के भुगतान के उपरांत शेष बचत धनराशि में से किये जाने पर अनुमति प्रदान करते हुए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से रू0 15,27,537/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA दिनांक 14.01.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वितीय हस्त-पुस्तिका/वजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष वचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(7) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयवद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय रू0 15,27,537/- को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 28-05-202(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

<u>संख्या:-264(1)/एक-10-2025, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, वजट आवंटन (ई-वजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-05/06/2025

प्रेषण संख्या:- 264
आवंटन आदेश संख्या:- 001-264
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	1527537 201427537	1527537 201427537
	योग	वर्तमान प्रगामी	1527537 201427537	1527537 201427537

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पन्द्रह लाख सत्ताइस हजार पाँच सौ सैंतीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बीस करोड़ चौदह लाख सत्ताइस हजार पाँच सौ सैंतीस

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।